फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर

मिश्रित बनाम राज० सरकार

मुकदमा संख्या /वर्ष संख्या जाब्ता (T) 27/2022 /20

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/8/22	प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री गौरव गुप्ता के द्वारा प्रार्थिका पक्ष 09/09 सपठित धारा 151 CPC पेश करने पर प्रतिकूल/अनापत्ति रिपोर्ट होकर प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र 09/09 सपठित धारा 151 CPC पर बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उनकी तबीयत खराब होने से स्वयं अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया। उनके न्यायालय की डेरी से पहुंचने के कारण प्रार्थिका पक्ष आगामी निर्णयाधीन को पक्ष हाजरी अथवा पैरवी के लिए नियत किया गया। वकील प्रार्थी की बहस। प्रार्थना पत्र का गहन अध्ययन। वकील प्रार्थी की तबीयत खराब होने से उपस्थित नहीं हो पाने की। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 09/09 सपठित धारा 151 CPC के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थिका पक्ष आगामी निर्णयाधीन को पुनः नोटिस पर लिया जाता है। वकील प्रार्थी मुल प्रार्थिका पक्ष आगामी निर्णयाधीन में के प्रतिभूति की वापसी स्वीकार नोटिस के अध्यधीन। प्रार्थना पत्र [illegible] आज दिनांक 11/8/22 को [illegible] घोषित।	नोटिस जारी 5007-5008 17/8/22

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested